

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**

पत्रांक-06/EV (प्रोत्साहन राशि)-15-07/2024

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

**विषय :-** राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित “बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023” हेतु कुल-1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार रुपया) मात्र निकासी की स्वीकृति।

**आदेश :-** स्वीकृत।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग सं0-47 के अन्तर्गत राज्य स्कीम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

| क्र0 | योजना शीर्ष                                                                                                                                                                                                                                                           | वित्तीय वर्ष<br>2024-25 के लिए<br>बजटीय उपबंध<br>(रुपया में) | वित्तीय वर्ष<br>2024-25 के लिए<br>पुनरीक्षित बजटीय<br>(रुपया में) | इस आदेश द्वारा<br>स्वीकृत राशि<br>(रुपया में) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                            | 4                                                                 | 5                                             |
| 1    | मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी | 11.00 करोड़                                                  | 11.00 करोड़                                                       | 1,35,000/-                                    |

- इस राशि को जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को आवंटित किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के द्वारा यह राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के पत्रांक-570, दिनांक-04.02.2025 के आलोक में संबंधित लाभुकों को इस राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के द्वारा किया जायेगा।
- इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- वित्त विभागीय पत्रांक-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन संचिका सं0-06/चार्जिंग स्टेशन-09-29/2021 के पृष्ठ-83/टि0 पर मद सं0-01 के रूप में दिनांक-05.12.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, गया/जिला परिवहन पदाधिकारी, गया/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/प्रशाखा पदाधिकारी-03, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 105

पटना, दिनांक :- 21/2/2025

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**

पत्रांक-06 / EV (प्रोत्साहन राशि)-15-07 / 2024

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" हेतु कुल-1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार रुपया) मात्र निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग सं0-47 के अन्तर्गत राज्य स्कीम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

| क्र0 | योजना शीर्ष                                                                                                                                                                                                                                                           | वित्तीय वर्ष<br>2024-25 के लिए<br>बजटीय उपबंध<br>(रुपया में) | वित्तीय वर्ष<br>2024-25 के लिए<br>पुनरीक्षित बजटीय<br>(रुपया में) | इस आदेश द्वारा<br>स्वीकृत राशि<br>(रुपया में) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                            | 4                                                                 | 5                                             |
| 1    | मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी | 11.00 करोड़                                                  | 11.00 करोड़                                                       | 1,35,000/-                                    |

- इस राशि को जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को आवंटित किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के द्वारा यह राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के पत्रांक-570, दिनांक-04.02.2025 के आलोक में संबंधित लाभुकों को इस राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के द्वारा किया जायेगा।
- इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- वित्त विभागीय पत्रांक-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन संचिका सं0-06/चार्जिंग स्टेशन-09-29/2021 के पृष्ठ-83/टि0 पर मद सं0-01 के रूप में दिनांक-05.12.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

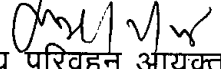
ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 105

पटना, दिनांक :- 21/2/2025

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, गया/जिला परिवहन पदाधिकारी, गया/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/प्रशाखा पदाधिकारी-03, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-06/EV (प्रोत्साहन राशि)-15-07/2024 105

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 21/2/2025

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" हेतु कुल-1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार रुपया) मात्र निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग सं0-47 के अन्तर्गत राज्य स्कीम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

| क्र0 | योजना शीर्ष                                                                                                                                                                                                                                                           | वित्तीय वर्ष<br>2024-25 के लिए<br>बजटीय उपबंध<br>(रुपया में) | वित्तीय वर्ष<br>2024-25 के लिए<br>पुनरीक्षित बजटीय<br>(रुपया में) | इस आदेश द्वारा<br>स्वीकृत राशि<br>(रुपया में) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                            | 4                                                                 | 5                                             |
| 1    | मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी | 11.00 करोड़                                                  | 11.00 करोड़                                                       | 1,35,000/-                                    |

- इस राशि को जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को आवंटित किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के द्वारा यह राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के पत्रांक-570, दिनांक-04.02.2025 के आलोक में संबंधित लाभुकों को इस राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के द्वारा किया जायेगा।
- इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- वित्त विभागीय पत्रांक-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन संचिका सं0-06/चार्जिंग स्टेशन-09-29/2021 के पृष्ठ-83/टि0 पर मद सं0-01 के रूप में दिनांक-05.12.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

